


26.09.2024:—पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के निवेदन पर पत्रावली में सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली में अधिवक्ता की बहस एवं साक्ष्य सबूतों को मध्यनजर रखते हुए। वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय कि पालना में डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
साहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

